उत्तराखण्ड परिवहन निगम Intercity बस संचालन योजना।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा राज्य के विभिन्न छोटी दूरी के मार्गो हेतु निजी बस स्वामियों से बस निगम के नाम हस्तान्तरित करने व बस मेंटीनेंस /चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबन्ध पर बस संचालन की योजना है, जिसका विवरण निम्नवत् हैं–

1 .निगम द्वारा अनुबंध के आधार पर बस संचालित किये जाने हेतु विभिन्न मार्गो का विवरण **संलग्नक–'1'** में दर्शाया गया हैं।

2. **बस का प्रकार–**

   किसी भी वाहन उत्पादन कर्ता की BSIV बस स्वीकार होगी। बसो द्वारा भारत सरकार एंव उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण करना होगा। बस के मानकों (Technical Specification) का विवरण **सलग्नक–'2'** में दर्शाया गया है।

3. **बस की आयु–** अनुबंध के समय बस न्यू ब्रांण्ड होनी चाहिए।

4. एक बस स्वामी को एक ही मार्ग पर संचालन करने हेतु वरीयता दी जायेगी।

5. योजना की कोई अन्तिम तिथि नहीं है। प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर बसो का मार्ग आवंटन किया जायेगा।
6. बसो हेतु डीजल से अतिरिक्त देय दरों एवं प्रशासनिक शुल्क का विवरण निम्नवत होगाः–

मार्ग की श्रेणी	सीटिंग क्षमता	दर	प्रशासनिक शुल्क
क	32 सीट	रू 8.40 प्रति कि0मी0	रू 3.50पैसे प्रतिकि0मी0

7. आवेदनकर्ता को प्रति बस रू. 25000/– की प्रतिभूति आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।

8. अनुबंध की अवधि 6वर्ष होगी।

9. बस आवंटन होने के पश्चात् बस स्वामी को 75 दिन के अन्दर अपनी बस निगम को उपलब्ध करानी होगी जिसके पश्चात् ठोस कारण बताए जाने पर 1 माह तक का अतिरिक्त समय 500 रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब पेनाल्टी सहित देय होगा। अधिकतम 30दिन हेतु होगी। इसके पश्चात् प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

10. **<u>बसो को डीजल–</u>** निगम द्वारा बस का डीजल 6.5 कि0मी0 प्रतिलीटर की दर से उपलब्ध कराया जाएगा अथवा उसके लिये दैनिक आधार पर आय का 40% धनराशि तक दिया जाएगा। जिसका समायोजन पाक्षिक आधार पर बस स्वामी के बिलो से किया जाएगा।

11. बस स्वामी को भुगतान रू. 8.40 पैसे प्रति कि0मी0 की दर से प्रति 15 दिन में किया जाएगा।

12. निगम के समस्त व्यय निकालने के पश्चात् बस से हुए शुद्ध लाभ में से बस स्वामी को 25% प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। लाभ की गणना में डीजल बचत भी सम्मिलित की जायेगी। यदि समस्त व्यय निकालने के पश्चात हानि होती है तो तदनुसार देयको में कटौती की जाएगी। यह गणना प्रत्येक 6 माह पर की जाएगी।

13. बस पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार निगम का होगा।

14. बस स्वामी द्वारा बस निगम की समय सारणी के अनुसार बस स्टेशन पर प्रतिदिन उपलब्ध करानी होगी। समय पर उपलब्ध न कराए जाने पर अनुबंध पत्र के अनुसार पेनाल्टी देय होगी।

15. बस स्वामी द्वारा बस का स्वामित्व निगम को स्थानान्तरित करना होगा जिसके लिये बस अनुबंध **संलग्न–'3'** के अनुसार करना होगा।

16. बस स्वामी द्वारा बस का संचालन एवं मेन्टीनैंस किया जाएगा जिसके लिये अनुबंध **संलग्न–'4'** में करना होगा।

17. बस का संचालन प्रतिदिन लगभग 350 कि0मी0 तक मार्ग की दूरी के अनुसार किया जायेगा।

18. मेन्टीनैंस अथवा दुर्घटना आदि की स्थिति में बस का अधिकतम अवकाश अनुबंध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार देय होगा।

19. बस स्वामी द्वारा बस का Comprehensive बीमा कराया जाएगा तथा दुर्घटना आदि होने पर किसी भी क्लेम का पूर्ण उत्तरदायित्व बस स्वामी का होगा।

20. बस पर देय समस्त टैक्स जैसे रोड़ टैक्स, फिटनैस फीस, बीमा आदि की देयता बस स्वामी की होगी।

21. बस संचालन हेतु यात्री कर, परमिट फीस, टोल आदि का भुगतान निगम द्वारा देय होगा।

22. वैट, सेवा कर, अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य कर निजी बस स्वामी द्वारा देय होगा। बस स्वामी के बिलो से नियमानुसार आय कर की कटौती की जाएगी।

23. प्रत्येक पक्ष में बस द्वारा संचालित किये गये कि0मी0 के आधार पर बस स्वामी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर, भुगतान किया जाएगा।

24. अनुबंध की शर्तो का पालन न किये जाने पर निगम द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

25. किसी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

26. आवेदन निर्धारित प्रारूप **संलग्न– '5'** के अनुसार करना होगा।

27. बस की कलर स्कीम, बाडी एवं सीटें निगम द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार होगी।

28. एक बार आवंटित मार्ग सामान्य दशा में परिवर्तित नही किया जा सकेगा।

29. निगम द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार मार्गो एंव रिक्तियों में कमी/बढोत्तरी की जा सकती है।

<u>संलग्नक–'1'</u>

मार्गो की सूचीः–

कमांक	मार्ग का नाम	बसों की रिक्तियॉ
1	देहरादून–ऋषिकेश–देहरादून	20
2	देहरादून–रूडकी–देहरादून	10
3	देहरादून–हरिद्वार–देहरादून	10
4	देहरादून–हरिद्वार–लक्सर–देहरादून	10
5	हल्द्वानी–सिडकुल–रूद्रपुर–हल्द्वानी	10
	कुल योग–	**60**

उक्त मार्ग एंव रिक्तियॉ अनुमानित है। आवश्यकता अनुसार मार्ग एंव रिक्तियों की संख्या घटाई/बढायी जा सकती है।

संलग्नक–2

Technical Specification For Bus

S N	Item	Description
1	Bus body Type	Midi bus Type I or II NDX as per AIS 052
2	Wheel Base	Suitable for 32 seats
3	Rear Overhang	Not exceeding 60% of the wheel base
4	Fuel	DIESEL
5	Emission norms	BS IV
6	Bus body Design	Aesthetically designed bus body
7	Body Structure	Body structure will be of GI tubular type. Reinforcement at suitable locations. As per AIS 052
12	Body Insulation	As per AIS 052
13	Passenger door	One Wide (1000-1200mm) Pneumaticaly operated between the wheels.
14	Passenger seats	2X2 ,32 High Back Plastic Moulded seats. The seat sets provided should conform to AIS 023 specification conforming to NDX Type-I or II, AIS 052 Bus Code.
15	Emergency Door	As Per AIS 052
16		Rear wind shield will act as emergency exit. Glass breaking hammer to be provided
17	Glass tint	Clear glass
18	Front/ Rear Windshield	Single piece laminated type
19	Wipers	Heavy duty wash and Wiping System

20	Driver's partition	Tubular Half Partition
21	Step	Low floor steps having anti skid design
22	Roof Lamps	White LED lamps in passenger saloon & in driver
23	Step Lamp	LED Step lamp
24	Fog Lamp	To be provided
25	Side marker	To be provided
26	Head Lamp	Clear head lamps
27	Height marker lamp	Two nos at front with white lens and two nos at rear with red lens
28	Fire extinguisher	Minimum 2 no of totaling minimum10 kg fire extinguisher to be provided.
29	Roof grab rail	Two nos to be provided with 15 nos Hand Straps
30	Window guard rail	2 nos to be provided externally (MS pipe with black powder coated)
31	Driver Seat	As received on chassis
32	Driver Seat Belt	As received on chassis
33	Fans	1 no. for driver to be provided.
34	Bell Switch	Bell switch to be provided on passenger door apperture area
35	Colour scheme	Only PU PAINT/ METALLIC PAINT shall be used. Exterior and interior colour schemes shall be given by UTC . UTC logo/ graphics design and the intimation on the seats for reservation for physically handicapped persons, ladies, senior citizens, other statutory information shall be provided as per UTC requirements and also to provide necessary signage as per bus code AIS 052
36	Destination Indicator	3 LED Destination Boards with location anouncment system are to be provided as per TYPE-I specification. Front rear and inside desination sizes to be as per bus code.Voice announcemnet system to be provided as per bus code. Mobitec/Hanover/Cameto with GPS System

37	Dashboard	Aestheticallly designed FRP dashboard
38	Provisions for Differently abled Passengers	Provisions are to be provided for Differently Abled Passengers as per AIS 52 bus code.
39	Camera	Two camera in front and rear with recorder

Inactive seat layout of proposed bus

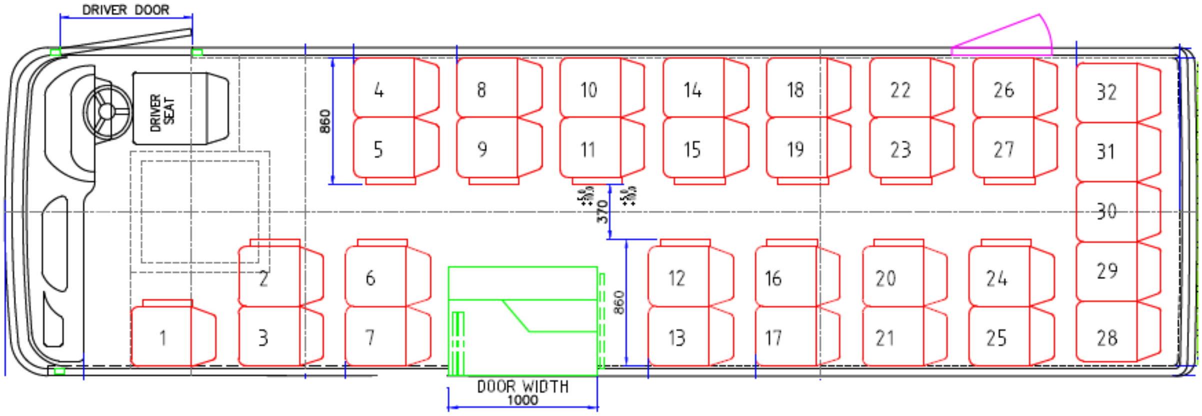

संलग्नक–5

उत्तराखण्ड परिवहन निगम
बसों के अनुबन्धन हेतु निविदा प्रपत्र

फार्म संख्या.....................

फार्म मूल्य रू.500.00
वैट रू. 75.00
कुल रू. 575.00

अधिकारी के हस्ताक्षर
एंव मोहर

1–निविदा देने वाले (बस मालिक) का पूरा नाम व पता...

....

मो0न0.......................................पैनकार्ड नं..

2–निविदादाता की विधिक प्रस्थिति ....

2.1 (हैसियत) यथा व्यक्तिगत/पार्टनरशिप फर्म/लिमिटेड कम्पनी आदि फर्म/कम्पनी की ओर से निविदा दी जा रही है तो (पार्टनरशिप डीड अथवा आर्टकिल और मेमोरण्डम आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) स्पष्ट करें।...

2.2 क्या पूर्व में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में अपनी बस अनुबन्ध पर चलायी है। यदि हां तो बस सं. डिपो का नाम, पूर्व में यदि उस पर कोई पेनाल्टी लगी हो तो उसका पूर्ण विवरण। ....

3– अनुबन्धित की जाने वाली बस के सम्बन्ध में निम्न सूचना दें:–

3.1 बस रजिस्ट्रेशन की तिथि ....

3.2 मूल रजिस्ट्रेशन की तिथि ....

3.3 रजिस्ट्रेशन का स्थान ....

3.4 बस का विवरण:– ....

अ–मॉडल ....

ब–मेक ....

स–सीटों की क्षमता ....

द–इंजन नम्बर ....

य–चेसिस नम्बर ....

र–तिथि जब तक रोड़ टैक्स जमा किया जा चुका है।...

ल–फिटनेस वैधता की तिथि ....

2...पर

व– इन्श्योरेन्स का विवरण ....

1–कम्प्रेहेन्सिव ....

2–वैधता की तिथि ....

(उपरोक्त के प्रमाण हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रति/अन्य कागजात की प्रति संलग्न करें।)

3.5 रजिस्ट्रेशन अधिकारी से रोड़टैक्स,यात्रीकर, मालकर का अदेयता प्रमाण–पत्र ....

3.6 बस को कोई परमिट प्राप्त/अप्राप्त है। ....

4– अर्नेस्टमनी (संलग्न) का विवरण बैंक ड्राफट संख्या..
बैंक ड्राफट दिनांकः..
रूपये..

5– इनकम टैक्स क्लीयरेन्स का विवरण (चालू वर्ष)..

6– क्षेत्र एंव मार्गो का विवरण

6.1– जिस क्षेत्र में बस लगाना चाहते हैं ....

6.2– वरीयता क्रम में मार्गो का विवरण व दरें(अधिकतम तीन मार्गो की वरीयता दें)

मार्ग वरीयता क्रम	**मार्ग का नाम**	**दर प्रति कि0मी0**
1–		
2–		
3–		

नोटः– उपर्युक्त वरीयता क्रम निगम पर बाध्य नहीं होगा। इन मार्गो पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मार्ग का आवंटन किया जायेगा। उपर्युक्त में जहां वांछित हो पूर्ण सूचना भरें।

मैं/हम शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूॅ/करते है कि ऊपर मेरे/हमारे द्वारा दिये गये विवरण सही व सत्य है।

हस्ताक्षर

बस मालिक/निविदादाता

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में निजी नई वातानुकूलित स्लीपर कोच बसों का स्वामित्व निगम के नाम हस्तान्तरित करने व बस मेन्टीनेन्स/चालक उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा निजी बस स्वामियों के लिये नई वातानुकूलित स्लीपर कोच बस संचालन की योजना है। उक्त योजना रिक्तियां उपलब्ध होने तक खुली है। विवरण निम्नवत हैः–

1. एक वाहन स्वामी की कम से कम दो बसें स्वीकार की जायेगीं। यदि एक साथ सभी नई वातानुकूलित क्लीपर कोच वाहनें, एक ही वाहन स्वामी अथवा फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाती है एवं फर्म/वाहन स्वामियों द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं अन्य परिवहन निगम में पूर्व से वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है तो उन फर्मो/बस स्वामियों की बसें लेने को वरीयता दी जायेगी।

2. वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बसों का संचालन प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्गो पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

3. भुगतान, प्रत्येक पक्ष (15 दिन) में बसों द्वारा संचालित किये गये कि.मी. के आधार पर वाहन स्वामी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर, बिल प्राप्त होने के एक माह में किया जायेगा।

4. निगम द्वारा वातानुकूलित स्लीपर कोच बसों को रुपया 13.00 प्रति कि.मी. की दर से भुगतान दिया जायेगा।

5. निगम का प्रशासनिक शुल्क वर्तमान में रु. 5.05 प्रति कि.मी. निर्धारित है जो कि निगम द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है।

6. यदि बस की शुद्ध आय, निगम द्वारा बस पर कुल व्यय, प्रशासनिक शुल्क सहित, से कम प्राप्त होती है तो कम आय को समायोजित करते हुए भुगतान किया जायेगा जिसकी गणना प्रत्येक 06 माह पर की जायेगी।

7. निगम द्वारा डीजल 3.50 कि.मी. प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी वाहन द्वारा इससे अधिक डीजल की खपत की जाती है तो अधिक खपत का डीजल मूल्य वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।

8. वातानुकूलित स्लीपर कोच वाहन, उत्पादन कर्ता की Air Conditioned BS IV नई बस स्वीकार होंगी। सभी बसों को भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करना होगा।

9. अनुबन्ध के समय वातानुकूलित स्लीपर कोच बसें नयी (ब्रॉण्ड न्यू) होनी चाहिए।

10. अनुबन्ध की अवधि 05 वर्ष होगी जिसे बाद में अधिकतम एक वर्ष तक बस की दशा के अनुरुप बढाया जा सकेगा।

11. प्रस्ताव के साथ प्रतिभूति मद में रुपया 50,000.00 (रुपया पचास हजार मात्र) प्रतिबस की दर से प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट जो प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होना। प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कुल अनुबन्ध अवधि के एक वर्ष पश्चात तक निगम के पास रहेगी।

12. सभी वातानुकूलित स्लीपर कोच वाहनें एल.ओ.आई. जारी होने के 75 दिन के अन्दर उपलब्ध कराई जानी होंगी। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात ठोस कारण बताए जाने पर 30 दिन का अतिरिक्त समय रुपया 1000.00 (रुपया एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रतिबस की दर से विलम्ब शुल्क जमा कराने पर, प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिया जा सकता है। इसके पश्चात अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुये आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार निगम का होगा।

14. बसें निगम की समय–सारणी के अनुसार, बस स्टेशन पर प्रतिदिन उपलब्ध करानी होगी। समय पर बस उपलब्ध न कराए जाने पर अनुबन्ध–पत्र के अनुसार पैनाल्टी देय होगी।

15. सभी बसों का स्वामित्व निगम को स्थानान्तरित करना होगा।

16. बस संचालन हेतु चालक उपलब्ध कराया जाना एवं बस मेन्टीनेन्स का दायित्व वाहन स्वामी/फर्म का होगा।

17. मेन्टीनेन्स अथवा दुर्धटना आदि की स्थिति में बस को अधिकतम अवकाश अनुबन्ध–पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार देय होगा।

18. बस का Comprehensive बीमा फर्म द्वारा कराया जाएगा तथा दुर्धटना आदि होने पर सभी प्रकार के क्लेम का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

19. बस पर देय समस्त टैक्स जैसे रोड़ टैक्स, फिटनेस फीस, बीमा, वैट आदि की देयता फर्म की होगी।

20. बस संचालन हेतु यात्रीकर, परमिट फीस, टोल आदि का भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा।

21. आयकर की कटौती नियमानुसार फर्म के बिलों से की जायेगी।

22. चालक एवं फर्म के अन्य कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई आदि देयकों का दायित्व फर्म/वाहन स्वामी का होगा।

23. अनुबन्ध की शर्तो का पालन न किये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये निगम द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

24. बस की कलर स्कीम निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। बसों पर केवल उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड परिवहन निगम का

लोगो तथा निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर उत्तराखण्ड पर्यटन सम्बन्धी चित्रों को प्रदर्शित करना होगा।

25. बस बौडी में कही भी फर्म का नाम, टेलीफोन नम्बर आदि प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

26. सभी बसों में निगम द्वारा empanneled फर्म से जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा जो निगम के Comman software पर कार्य करेगा।

27. बस प्रदाता का चरित्र अपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिये और उसके प्रति किसी प्रकार का वाद योजित नहीं होना चाहिये। साथ ही बस प्रदाता किसी बैंक अथवा फाईनेन्स कम्पनी से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिये। प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28. किसी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

29. आवेदन, निर्धारित प्रारुप **संलग्नक '2'** के अनुसार करना होगा।

30. विभिन्न मार्गो पर बसों की आवश्यकता **संलग्नक '3'** है।

31. वातानुकूलित स्लीपर कोच बस का प्रकार 218/222 इंच व्हीलवेस बस की सीटें 27, स्लीपर–15 हों तथा सीटें Full reclined 'HARITA' मेक की होनी चाहियें।

32. बस का सेल लेटर निगम द्वारा दी गई स्वीकृति के पश्चात का होना चाहियें।

महाप्रबन्धक (संचालन/तकनीकी)

परिवहन निगम मुख्यालय।

संलग्नक '2'

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

वातानुकूलित स्लीपर कोच बसों के संचालन हेतु आवेदन पत्र

निविदा संख्या ....निविदा मूल्य रुपया 1000.00+वैट रु0135.00=रु01135.00

(वेवसाईड से निकालने पर उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नाम देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा)

1— निविदादाता (बस मालिक) का पूरा नाम व पता..

....

....

....

मोबाइल नम्बर..पैन कार्ड नम्बर..

2— निविदादाता की विधिक स्थिति ....

2.1 हैसियत यथा व्यक्तिगत/पार्टनरशिप, फर्म/लिमिटेड कम्पनी आदि फर्म/कम्पनी की ओर से यदि निविदा दी जा रही है तो पार्टनरशिप डीड अथवा आर्टिकिल और मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें.................

....।

2.2 क्या पूर्व में उत्तराखण्ड परिवहन निगम अथवा अन्य परिवहन निगम में बस अनुबन्ध पर चलायी है, यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण ....

....

....

पूर्व में यदि कोई पैनाल्टी लगी हो तो उसका पूर्ण विवरण ....
....
....

3– प्रस्तावित वातानुकूलित स्लीपर कोच बसों की संख्याः– ....

4– अर्नेस्टमनी (संलग्न) का विवरण

बैंक ड्राफ्ट सं0.................................दिनांक..........................

बैंक का नाम.......................................रू0..............................

5– मार्ग वरीयता क्रम :–

मार्ग का नाम 1. ....

2. ....

नोट– उपर्युक्त वरीयता क्रम निगम पर बाध्य नहीं होगा। इन मार्गो पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मार्ग का आवंटन किया जायेगा। उपर्युक्त में जहां वांछित हो पूर्ण सूचना भरें।

धोषण :– मैं/हम शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हॅू/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दिया गया विवरण सही व सत्य है।

हस्ताक्षर

निविदादाता

(वाहन स्वामी)

संलग्नक–'3'

मार्गो की सूचीः–

कमांक	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1	देहरादून–जयपुर–देहरादून	02
2	देहरादून–हल्द्वानी–देहरादून	02
योग		04